संख्या-14/2023/155/18-2-2023-19(ल0उ0)/2017

प्रेषक

प्रांजल यादव

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त एवं निदेशक,

उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन,

उत्तर प्रदेश, कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 02 मार्च, 2023

विषयः- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन /परिवर्द्धन ।

महोदय,

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2017 के प्रस्तर-7.10.1 के अन्तर्गत प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय दस्तकारों तथा पारम्परिक कारीगरों के विकास हेतु "विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना" के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-34/2018/997/18-2-2018-19(ल0उ0)/2017, दिनांक 26-12-2018 द्वारा मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्गत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त इसमें शासनादेश संख्या-22/2020/220/18-2-2020-19(ल0उ0)/2017, दिनांक 18-6-2020 द्वारा कतिपय संशोधन/परिवर्द्धन किये गये हैं। इस योजना के संचालन को और अधिक सरल एवं सुगम बनाये जाने हेतु शासनादेश संख्या-22/2020/220/18-2-2020-19(ल0उ0)/2017, दिनांक 18-6-2020 के प्रस्तर-2.ख.1 को निम्नवत संशोधित/ परिवर्द्धित किये जाने का निर्णय लिया गया है-

ख- टूलकिट वितरणः-

2.ख.1 परम्परागत कारीगरों द्वारा प्रयोग किये जा रहे औजार पुरानी तकनीक पर आधारित हैं। सेवा/व्यवसाय के सफल संचालन हेतु आधुनिकतम तकनीक पर आधारित उन्नत किस्म के टूलकिट का वितरण कौशल वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपरान्त सभी प्रशिक्षणार्थियों को किया जायेगा। आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर की अध्यक्षता में समिति गठित कर जेम पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुये गुणवत्तापरक टूलकिट क्रय की जायेगी।

2- उक्त संशोधन के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-34/2018/997/18-2-2018-19(ल0उ0)/2017, दिनांक 26-12-2018 एवं शासनादेश संख्या-22/2020/220/18-2-2020-19(ल0उ0)/2017, दिनांक 18-6-2020 में योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्णित मार्गदर्शी सिद्धान्त यथावत रहेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तदिशा-निर्देशानुसार विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का क्रियान्वयन कराते हुये शीघ्रतापूर्वक टूलकिट्स का वितरण सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

प्रांजल यादव
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा/लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0/ समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3- समस्त परिक्षेत्रीय अधिकारी/उपायुक्त, उद्योग उ0प्र0।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
5- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3/2 (गार्ड फाइल)।

आज्ञा से

अनमोल सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।